संख्या-5/2016/18/1/2008टी.सी./का-2

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक:17 जून, 2016

विषयः- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम मे विकलांगजन हेतु चिन्हित अनभरी रिक्तियों को अग्रनीत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) की धारा-3(5) में शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती हैं, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किये जाने विषयक प्राविधान को रिट याचिका संख्या-49778/2015, आलोक कुमार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के माध्यम से समाप्त करने का मा. उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) की धारा-3(5) को संशोधन अधिनियम, 2016 अधिसूचना दिनांक 07.04.2016 के माध्यम से निकाल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरिसंदर्भित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में विकलांगजन की अनभरी रिक्तियों को भी अग्रेनीत करने का प्राविधान था। संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से उक्त प्राविधान को निकाल दिए जाने से विकलांग जन की अनभरी रिक्तियों को भी अग्रनीत किए जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

2. इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम संख्या-1/1996, विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-36 एवं कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 के माध्यम से विकलांगजन हेतु चिन्हित अनभरी रिक्तियों को अग्रनीत करने की व्यवस्था की गयी है। अतः प्रदेश की राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर विकलांगजन हेतु चिन्हित अनभरी रिक्तियों को सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा आगामी दो चयन वर्षो हेतु अग्रनीत करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय दिनांक 07.04.2016 (अधिसूचना की तिथि) से प्रभावी माना जायेगा।

कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/2016/18/1/2008टी.सी.(1)-का-2-तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
11. संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को संलग्न अधिनियम की 1,000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।